सम्मुख राजबीर सेहरावत, जे.

राजीव चंद्र - याचिकाकर्ता

बनाम

सीमा सड़क संगठन और अन्य -

प्रतिवादी

सीडब्ल्यूपी No. 3348 वर्ष 2021

16 मार्च, 2022

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226 – पदोन्नति - निंदा की सजा – प्रभाव - सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) से कार्यकारी अभियंता (सिविल) में देरी से पदोन्नति के कारण खोई हुई वरिष्ठता को परिणामी लाभों के साथ बहाल करने के लिए दायर याचिका - याचिकाकर्ता का अनुकूल रिकॉर्ड है, लेकिन उसे निंदा की सजा दी गई थी - विभागीय पदोन्नति समिति ने जूनियरों को पदोन्नत किया - भारत सरकार से स्पष्टीकरण - निंदा पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं है- याचिकाकर्ता को बाद में पदोन्नत किया गया - याचिका का निपटारा किया गया - प्रतिवादी को कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने और परिणामी वरिष्ठता को बहाल करने का निर्देश।

अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों में तथ्य पाता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्य व्यक्तियों से वरिष्ठ था, जिन्हें वर्ष 2010-11 की रिक्तियों के लिए 17.6.2011 को आयोजित पहली डीपीसी के माध्यम से पदोन्नत किया गया था । निस्सन्देह, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं था जिसके आधार पर डी. पी. सी., या उस मामले के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, उक्त तिथि पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार कर सकता था । यद्यपि प्रतिवादी के वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि विचार की तिथि पर समिति ने 'निंदा' की सजा को पदोन्नति से इनकार करने के लिए एक वैध आधार पाया था, हालांकि, प्रतिवादी ना तो सेवा नियमों के किसी भी प्रावधान का या डी. पी. सी. की कार्यवाही के संचालन के लिए दिए गए निर्देशों के तहत कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत 'निंदा' को याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता था । 'निंदा' की सज़ा में, उस मामले को छोड़कर, जहां सेवा नियम या संबंधित नियम निर्धारित हैं, मुद्रा की कोई अवधि नहीं है । यह एक बार की सजा है । इसलिए, 'निंदा' की सजा को पदोन्नति से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है । यह निष्कर्ष दो तथ्यों से पुष्ट होता है । सबसे पहले, कि उसी वर्ष नवंबर 2011 में,

प्रतिवादी ने स्वयं वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया, दूसरा, भारत सरकार ने स्वयं स्पष्टीकरण जारी करके स्पष्ट किया है जो निम्नानुसार हैः

> “2. मंत्रालयों और विभागों द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि क्या यह ‘निंदा' के मामले में भी लागू होता है। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि ऊपर लिखित पैराग्राफ 7 (डी), 7 (एफ) और 7 (जी) सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत सभी मान्यता प्राप्त दंडों में लागू होते हैं, जिसमें निंदा का मामूली जुर्माना भी शामिल है, जिसके लिए कोई मुद्रा निर्धारित नहीं की गई है, इसका मतलब यह होगा कि पैरा 7 (जी) के अनुसार, यदि डीपीसी 'निंदा' के पुरस्कार के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझता है, तो उसे दंड की मुद्रा का उल्लेख किए बिना पदोन्नत किया जा सकता है।”

(पैरा 7)

आगे कहा कि उपरोक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'निंदा' की सजा के बावजूद, व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और यदि उसके खिलाफ कोई अन्य प्रतिकूल सामग्री नहीं है तो उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। हालाँकि यह स्पष्टीकरण वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार करने की तारीख के बाद आया है, हालाँकि, चूंकि यह केवल मौजूदा कानून का स्पष्टीकरण है, इसलिए इसे मूल निर्देश की तारीख से संबंधित माना जाना चाहिए और इसलिए, वर्तमान मामले में शामिल विवाद का निर्णय लेते समय इसे एक प्रासंगिक कारक के रूप में लिया जा सकता है। यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित यूपीएससी के दिशानिर्देशों के अनुसार; 'निंदा' की सजा किसी व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं है।

(पैरा 8)

एस. ए. खेमका, याचिकाकर्ता/आवेदक की ओर से अधिवक्ता।

नमित कुमार, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए।

राजबीर सहरावत, जे. (मौखिक)

(1) यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक याचिका है जिसमें परमादेश रिट जारी करने की मांग की गई है, जिसमें प्रतिवादी को निर्देश दिया गया है कि वे सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) से कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में देरी से पदोन्नति के कारण याचिकाकर्ता की खोई हुई वरिष्ठता को परिणामी लाभों और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बहाल करें। इस याचिका में दिनांक 27.3.2017 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश को भी चुनौती दी गई है।

(2) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संगठन में सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर काम कर रहा था।

नियमों के तहत, सहायक कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद से अगली पदोन्नति कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर है। चूंकि याचिकाकर्ता के पास अन्य सभी अनुकूल रिकॉर्ड थे, इसलिए वर्ष 2010-11 की रिक्ति के लिए उस पर विचार करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता पर वर्ष 2010-11 की रिक्ति के लिए 17.6.2011 को विचार किया गया था, लेकिन उसे केवल इस आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया था कि 23.7.2009 पर उसे 'निंदा' की सजा दी गई थी। विभागीय पदोन्नति समिति (संक्षेप में 'डी. पी. सी.') की इन कार्यवाहियों द्वारा, जो व्यक्ति अन्यथा याचिकाकर्ता से स्वीकार्य रूप से कनिष्ठ थे, उन्हें प्रतिवादी द्वारा वर्ष 2010-11 की रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नत किया गया था। एक बार फिर, प्रतिवादी विभाग ने वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के लिए चयन की कार्यवाही का संचालन किया। इस बार डी. पी. सी. ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया और उसे पदोन्नति के योग्य पाया। तदनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 05.10.2011 के आदेश के अनुसार कार्यकारी अभियंता (सिविल) के रूप में पदोन्नत किया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्ष 2010-11 की रिक्तियों के लिए डी. पी. सी. में याचिकाकर्ता की गलत तरीके से उपेक्षा की गई थी। पद पर लागू नियमों में या कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति को नियंत्रित करने वाले किसी भी निर्देश के तहत कोई प्रावधान नहीं है, जिसके तहत प्रतिवादी याचिकाकर्ता के खिलाफ 'निंदा' की सजा के अस्तित्व के आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार कर सकते थे। भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 21.11.2016 (अनुलग्नक पी-7) के स्पष्टीकरण का उल्लेख करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने स्वयं स्पष्ट किया था कि 'निंदा' की सजा के अस्तित्व के बावजूद एक कर्मचारी को पदोन्नत किया जा सकता है। इस स्पष्टीकरण से पहले ही, यू. पी. एस. सी. ने डी. पी. सी. के संचालन के लिए अपने द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि 'निंदा' पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ 'निंदा' की सजा मौजूद हो तो आरोप पत्र और पृष्ठभूमि सामग्री आदि पर विचार करने के बाद मामले को मामले के आधार पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 'निंदा' की सजा के अस्तित्व के बावजूद, याचिकाकर्ता कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था। वकील ने आगे कहा है कि पदोन्नति के लिए मानदंड 'वरिष्ठता-सह-योग्यता' है। इसलिए, यह वरिष्ठता ही प्रचलित कारक होगी जब तक कि याचिकाकर्ता योग्यता की सीमा को पार नहीं करता है। केवल 'निंदा' के दंड के अस्तित्व की व्याख्या न तो अयोग्यता के रूप में की जा सकती है, और न ही इसे विभाग पर लागू किसी नियम या विनियम के तहत निर्धारित किया गया है।

वकील ने **सचिव सरकार और अन्य** बनाम **आर. मुरुगेसन**[1] में मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा दिए गए फैसले, **राजेन्द्र सिंह राव** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[2] तथा **राम खिलारी मीणा** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[3] में **राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा** पारित फैसलों पर अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए भरोसा किया है। तदनुसार, वकील द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान याचिका को स्वीकार किया जाए। प्रतिवादी को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति देकर गलती को सुधारें। इसके अलावा, वरिष्ठता सूची में सुधार के लिए परिणामी कदम उठाने का भी आदेश दिया जाए।

(3) दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया है कि निर्विवाद रूप से, पदोन्नति की प्रक्रिया वर्ष 2011 में पूरी हो गई थी। याचिकाकर्ता को वर्ष 2011 में वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के खिलाफ दूसरे डीसीपी में भी पदोन्नत किया गया था। इसके बावजूद, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका केवल वर्ष 2021 में दायर की है। यहां तक कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर उनकी शिकायत से सम्बंधित अभ्यावेदन भी वर्ष 2012 और 2017 में खारिज कर दिए गए। इसलिए, वर्तमान याचिका निराशाजनक है, जो देरी और अड़चनों से ग्रस्त है। केवल इसी आधार पर इसे खारिज किया जाना चाहिए।

(4) वकील ने **भारत संघ और अन्य बनाम दुरैराज (मृत) एल. आर. द्वारा**[4]**, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव और अन्य**[5]**, कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के माध्यम से और अन्य बनाम के. थंगप्पन और अन्य**[6] तथा **श्याम लाल गुप्ता और अन्य बनाम पंजाब राज्य**[7] में पारित फैसलों पर भरोसा किया है। वकील ने आगे कहा है कि वर्तमान याचिका में भी याचिकाकर्ता ने वरिष्ठता को चुनौती नहीं दी है। इतना ही नहीं; याचिकाकर्ता ने उन व्यक्तियों को भी शामिल नहीं किया है जो यदि इस न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तो वरिष्ठता सूची में किसी भी बदलाव से प्रभावित होंगे। इसलिए, याचिका आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के कारण भी खराब है।

---

[1] 2010 एससीसी ऑनलाइन मैड 4285

[2] 2010 एससीसी ऑनलाइन राज 4065

[3] 2010 एससीसी ऑनलाइन राज 4690

[4] 2011 (1) एससीटी 822

[5] 2006 (2) एससीटी 417

[6] 2006 (2) एससीटी 417

[7] 1998 (1) एससीटी 670

(5) योग्यता के बारे में, प्रतिवादी के वकील ने कहा है कि डी पी सी ने याचिकाकर्ता के प्रासंगिक सेवा रिकॉर्ड पर विचार किया है। इसलिए, इसे याचिकाकर्ता के अंतिम मूल्यांकन के रूप में लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के लिए 'निंदा' की सजा को उचित आधार के रूप में लिया गया था। न्यायालय को समिति के मूल्यांकन पर अपील करने के लिए भी नहीं बैठना चाहिए। अतः वर्तमान याचिका खारिज किए जाने के योग्य है।

(6) प्रतिवादी के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि यदि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत का निवारण करने की मांग कर रहा है और बदली हुई वरिष्ठता केवल उसी से उत्पन्न उत्पन्न होने वाला परिणाम है तो कथित प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है। वकील ने **राम खिलारी मीणा** बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य**[8] में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। देरी और अड़चनों के मुद्दे पर, याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया है कि देरी और अड़चनों का आधार प्रतिवादी के लाभ उठाने के लिए नहीं है। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव स्तर पर विचार किया जा सकता था, यदि यह कोई भी प्रासंगिक विचार होता। लेकिन यदि याचिकाकर्ता का दावा अन्यथा कानून के तहत उचित पाया जाता है, तो कार्यवाही में यह कोई बचाव नहीं है। वकील ने इस संबंध में **जगदीश कुमार** बनाम **दिल्ली नगर निगम**[9] मामले में दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया है।

(7) पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों में तथ्य पाता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अन्य व्यक्तियों से वरिष्ठ था, जिन्हें वर्ष 2010-11 की रिक्तियों के लिए 17.6.2011 पर आयोजित पहले DPC द्वारा पदोन्नत किया गया था। निस्सन्देह, याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य प्रतिकूल रिकॉर्ड नहीं था जिसके आधार पर डी. पी. सी., या उस मामले के लिए नियुक्ति प्राधिकरण, उक्त तिथि पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति देने से इनकार कर सकता था। यद्यपि प्रतिवादी के वकील ने इस बात पर जोर दिया है कि विचार की तिथि पर समिति ने 'निंदा' की सजा को पदोन्नति से इनकार करने के लिए एक वैध आधार पाया था, हालांकि, प्रतिवादी ना तो सेवा नियमों के किसी भी प्रावधान का या डी. पी. सी. की कार्यवाही के संचालन के लिए दिए गए निर्देशों के तहत कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लेख करने में विफल रहे हैं, जिसके तहत 'निंदा' को याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करने के लिए आधार के रूप में लिया जा सकता था। 'निंदा' की सजा की कोई अवधि नहीं होती है,

---

[8] 2010 एस. सी. सी. ऑनलाइन राज 4690
[9] आई. एल. आर. (2002) II दिल्ली 730

उन मामलो के अलावा कर जहां सेवा नियम या संबंधित विनियम निर्धारित किए गए हैं। यह एक बार की सजा है। इसलिए, 'निंदा' की सजा को पदोन्नति से इनकार करने का कोई आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह निष्कर्ष दो तथ्यों से पुष्ट होता है। सबसे पहले, कि उसी वर्ष नवंबर 2011 में, प्रतिवादी ने स्वयं वर्ष 2011-12 की रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया, दूसरा, भारत सरकार ने स्वयं स्पष्टीकरण जारी करके स्पष्ट किया है जो निम्नानुसार हैः

> "2. मंत्रालयों और विभागों द्वारा सवाल उठाए गए हैं कि क्या यह 'निंदा' के मामले में भी लागू होता है। इस संबंध में, यह दोहराया जाता है कि ऊपर लिखित पैराग्राफ 7 (डी), 7 (एफ) और 7 (जी) सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत सभी मान्यता प्राप्त दंडों में लागू होते हैं, जिसमें निंदा का मामूली जुर्माना भी शामिल है, जिसके लिए कोई मुद्रा निर्धारित नहीं की गई है, इसका मतलब यह होगा कि पैरा 7 (जी) के अनुसार, यदि डीपीसी 'निंदा' के पुरस्कार के बावजूद अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझता है, तो उसे दंड की मुद्रा का उल्लेख किए बिना पदोन्नत किया जा सकता है।"

(8) उपरोक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि 'निंदा' की सजा के बावजूद, व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए और यदि उसके खिलाफ कोई अन्य प्रतिकूल सामग्री नहीं है तो उसे पदोन्नत किया जाना चाहिए। हालाँकि यह स्पष्टीकरण वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता की पदोन्नति पर विचार करने की तारीख के बाद आया है, हालाँकि, चूंकि यह केवल मौजूदा कानून का स्पष्टीकरण है, इसलिए इसे मूल निर्देश की तारीख से संबंधित माना जाना चाहिए और इसलिए, वर्तमान मामले में शामिल विवाद का निर्णय लेते समय इसे एक प्रासंगिक कारक के रूप में लिया जा सकता है। यहां तक कि प्रतिवादी द्वारा संदर्भित यूपीएससी के दिशानिर्देशों के अनुसार; 'निंदा' की सजा किसी व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने का आधार नहीं है। इसे याचिकाकर्ता के अन्य अभिलेखों के साथ जोड़कर, उसमें शामिल आरोप-पत्र के विशेष संदर्भ के साथ-साथ, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए जिसके मामले में 'निंदा' सामने आई है, संचयी रूप से विचार किया जाना चाहिए। यह प्रतिवादी का मामला भी नहीं है कि याचिकाकर्ता को पदोन्नति से इनकार करते समय आरोप या याचिकाकर्ता की किसी अन्य पृष्ठभूमि के आधार पर इस तरह का कोई भी विचार डी. पी. सी. के लिए निर्णायक कारक था। अभिलेख और लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा लिए गए दलीलों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को केवल इस कारण से पदोन्नति से वंचित किया गया था कि उसे 'निंदा' की सजा दी गई थी। यह तथ्य कि पृष्ठभूमि प्रतिकूल नहीं थी, इस तथ्य से पता चलता है कि प्रतिवादी ने स्वयं

बाद में उसी वर्ष याचिकाकर्ता को पदोन्नत किया गया था। तदनुसार, यह न्यायालय **आर. मुरुगेसन**' के मामले (सुप्रा) और अन्य मामलों में निर्णय पर याचिकाकर्ता के वकील की निर्भरता को अच्छी तरह से स्थापित पाता है।

(9) प्रतिवादियों के वकील ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि याचिकाकर्ता ने वरिष्ठता सूची को चुनौती भी नहीं दी है। हालाँकि, यह तथ्यात्मक रूप से भी सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने उसे पदोन्नति देने के बाद वरिष्ठता सूची में सुधार के लिए उचित अनुरोध किया है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता और उसके कनिष्ठों की पदोन्नति के बाद वरिष्ठता के निर्धारण के तथ्य पर सवाल नहीं उठाया है। इसके अलावा, पदोन्नति संवर्ग की वरिष्ठता पदोन्नति के तथ्य का एक परिणाम है। इसलिए, उक्त कारक को याचिकाकर्ता के दावे के रास्ते में खड़े होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो फीडर संवर्ग से पदोन्नति संवर्ग में पदोन्नति से संबंधित है। यदि याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए अपने दावे को स्थापित करने में अन्यथा सफल होता है, तो वरिष्ठता केवल आवश्यक वैधानिक परिणाम होना चाहिए। इसलिए, प्रतिवादी के वकील का यह तर्क कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है।

(10) प्रतिवादी के वकील ने एक और आपत्ति भी उठाई है कि वर्तमान याचिका अत्यधिक देरी और अड़चनों से ग्रस्त है । हालाँकि, इस पहलू पर भी, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ उक्त पहलू को नहीं रखा जा सकता है । यह गलती, जानबूझकर या अन्यथा, केवल प्रतिवादी की है।प्रतिवादी को देरी और अड़चनों की दलील देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि यह प्रतिवादी को उनकी अपनी गलती पर प्रीमियम देने के समान होगा । अन्यथा भी, विलंब और रोक के मुद्दे पर न्यायालय को विचार करना है और यह स्वयं प्रतिवादी के लिए बचाव नहीं है, जब तक कि देरी के परिणामस्वरूप पहले से ही अन्य परिणाम नहीं हुए हों जिन्हें आगे की जटिलताओं के बिना ठीक नहीं किया जा सकता है या जो इस प्रकार अप्रत्याशित जटिलताओं को पैदा करता है । हालाँकि, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता की पदोन्नति का उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से और परिणामी वरिष्ठता में सुधार का कोई और आगामी परिणाम नहीं है । याचिकाकर्ता और अन्य कनिष्ठ व्यक्ति जिन्हें याचिकाकर्ता को हटाकर पदोन्नत किया गया था, सभी अभी भी कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पदोन्नति संवर्ग में हैं । इसलिए, वरिष्ठता सूची में सुधार का कोई आगामी परिणाम नहीं है । जिन कर्मचारियों ने पहले याचिकाकर्ता को हटा दिया था, उन्हें वरिष्ठता का दावा करने का कोई निहित अधिकार नहीं है, इस तरह से, अज्ञानता में या नियत तारीख से अपनी पदोन्नति प्राप्त करने के बाद अपनी वरिष्ठता तय करने के याचिकाकर्ता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है । इसके अलावा, विवाद उठाने में देरी के पहलू को

याचिकाकर्ता के भविष्य के विवरण-पत्र को भी नुकसान पहुँचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि न्यायालय इस स्तर पर याचिकाकर्ता की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता को अगली पदोन्नति के उद्देश्य से फिर से पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। यह न्याय का उल्लंघन होगा और याचिकाकर्ता को समानता के अधिकार से वंचित करने के समान होगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रतिवादी के वकील द्वारा दिए गए **दुरैराज का मामला (ऊपर)**, **अरविन्द कुमार श्रीवास्तव का मामला(ऊपर)**, **के. थंगप्पन (ऊपर) और श्याम लाल गुप्ता का मामला (ऊपर) के फैसलों में से किसी भी फैसले को किसी भी तरह से मददगार नहीं पाता है**। **बल्कि**, **याचिकाकर्ता के वकील** द्वारा दिए गए **'आर मुरुगेसन का मामला (ऊपर), राजेंद्र सिंह राव का मामला (ऊपर), राम खिलारी मीणा का मामला (ऊपर) और जगदीश कुमार का मामला (ऊपर) के फैसले** याचिकाकर्ता के मामले के लिए प्रासंगिक पाये गए।

(11) जहाँ तक कथित प्रभावित व्यक्तियों के गैर-प्रतिवादी और वर्तमान याचिका पर इसके प्रभाव का सवाल है, इस न्यायालय को उस पहलू पर भी प्रतिवादी के वकील के तर्क में कोई तथ्य नहीं मिलता है। याचिकाकर्ता, इस प्रकार, उन व्यक्तियों के खिलाफ कुछ भी दावा नहीं कर रहा है जिन्होंने पहले उसे हटा दिया था। याचिकाकर्ता केवल कानून के अनुसार विचार के अपने वैधानिक अधिकार को लागू करने के लिए अदालत के समक्ष है। यदि वह अपने प्रयास में सफल हो जाता है, तो इससे केवल याचिकाकर्ता के साथ पहले की गई गलती का ही समाधान होगा। किसी और पर कोई भी प्रभाव, केवल याचिकाकर्ता के साथ हुए गलत काम का उलट परिणाम है। इसलिए, जिन व्यक्तियों ने पहले याचिकाकर्ता को हटा दिया था, वे मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पक्ष भी नहीं हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन व्यक्तियों में से कोई भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होगा, सिवाय इसके कि आधिकारिक उत्तरदाताओं ने पहले डीपीसी में याचिकाकर्ता को हटाने के बारे में क्या दलील दी है। इसके अलावा, किसी अधिनियम के खिलाफ कोई रोक नहीं है। वैधानिक प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता को जो भी अधिकार थे, उन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति की किसी भी कथित आपत्ति के बावजूद दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता उन व्यक्तियों में से किसी से भी पदोन्नति वापस लेने या अपनी वरिष्ठता में बदलाव के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है। याचिकाकर्ता केवल अपनी पदोन्नति और नियमों के अनुसार अपनी परिणामी वरिष्ठता से संबंधित है। इसलिए, याचिकाकर्ता के वकील का यह तर्क भी केवल अस्वीकार किए जाने के लिए ध्यान देने योग्य है। यद्यपि प्रतिवादीओं के लिए वकील ने प्रस्तुत किया है कि यदि याचिकाकर्ता को अब वरिष्ठ बनाया जाता है तो आगे की पदोन्नति प्राप्त करने के लिए पहले पदोन्नत किए गए व्यक्तियों के अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, हालाँकि, यह पहलू भी पूरी तरह से अप्रासंगिक है। पदोन्नति सेवा की शर्त नहीं है। किसी को पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं है। नियमों के अनुसार केवल पदोन्नति के लिए अधिकार पर विचार किया जाना है। याचिकाकर्ता और अन्य व्यक्तियों के

लिए नियम समान हैं और इन्हें सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

(12) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पदोन्नति दें और याचिकाकर्ता के पक्ष में परिणामी वरिष्ठता को बहाल करें।

(13) इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(14) **निपटारा किया गया**।

(15) लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हरविंदर सिंह, अनुवादक, जिला न्यायालय, सोनीपत।